राजस्थान विधान सभा

तृतीय सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक, 27 अगस्त, 2009

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी :-

1. श्रीमती गायत्री देवी - पूर्व सांसद, तीसरी, चौथी एवं पांचवी लोकसभा
2. श्री माधो सिंह - पूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ)-I सचिव, विधान सभा पारित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

II सचिव, विधान सभा संविधान (एक सौ नवां संशोधन) विधेयक, 2009 के संबंध में लोकसभा से प्राप्त संदेश की सूचना सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ब) अधिसूचनायें

(I) वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2009-5 दिनांक 30.6.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैट एक्ट 2003 की धारा-4 में संशोधन किया गया हैं ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(64)वित्त/कर/2007-6 दिनांक 1.7.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/05-84 दिनांक 11.9.2006 (समय-समय पर यथा- संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(64)वित्त/कर/2007-7 दिनांक 1.7.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/05-86 दिनांक 11.9.2006 (समय-समय पर यथा- संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.2(26)वित्त/कर/2008-8 दिनांक 1.7.2009 जिसके द्वारा सीमा शुल्क बंध पत्र (कस्टम बॉन्ड) पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाकर 0.10 प्रतिशत किया हैं ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/06-36 दिनांक 20.7.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/07-65 दिनांक 14.2.2008 (समय-समय पर यथा- संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/07-37 दिनांक 20.7.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/07-67 दिनांक 14.2.2008 (समय-समय पर यथा- संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.2(71)वित्त/कर/07-38 दिनांक 21.7.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(71)वित्त/कर/07-13 दिनांक 5.5.2008 में संशोधन किया गया हैं ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.2(37)वित्त/कर/2008-39 दिनांक 21.7.2009 जिसके द्वारा रॉक फॉस्फेट पर देय सैस(उपकर) को 1.4.2008 से आंशिक छूट दी गई हैं ;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.12(97)वित्त/कर/09-40 दिनांक 27.7.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स एक्ट, 2003 के शिड्यूल-IV में संशोधन किया गया है ; एवं

10- अधिसूचना संख्या : एफ.12(97)वित्त/कर/09-41 दिनांक 27.7.2009 जिसके द्वारा जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स एक्ट, 2003 के शिड्यूल-I में संशोधन किया गया है ।

(II) ऊर्जा विभाग

श्री जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या : सचिव/राविविआ/रेग/77 दिनांक 30.3.2009 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (याचिकाओं हेतु शुल्क) (पंचम संशोधन) विनियम, 2009 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगे ।

(स) श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री, आउटकम बजट वर्ष 2008-2009 एवं आउटपुट बजट वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(द) वार्षिक प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(4) के अन्तर्गत लोकायुक्त, राजस्थान का 20वां, 21वां एवं 22वां वार्षिक समेकित प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004. एवं

2- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008.

4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि : -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

5. विधायी कार्य

(अ) विधेयकों का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

I- राजस्थान नगरपालिका विधेयक, 2009

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्या-19)

"राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं से संबंधित विधियों को समेकित करने और संशोधित करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

II- राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2009

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्या-18)

"राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिये विधेयक। "

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

III- राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2009

(I) श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्या-20)

"राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

IV- राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2009

(I) श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्या-21)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1964 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

..5..

(ब) विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2009

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्या-16)	"राजस्थान राज्य में विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और उससे संसक्त और उससे आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

6. वित्तीय कार्य

वर्ष 2005-2006 के लिये अतिरेक की मांगों पर मतदान

वर्ष 2005-2006 के लिये अतिरेक की मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

7. विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2009 का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्या-1)	"31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2005-2006 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से उन सेवाओं और उस वर्ष के लिये स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

8. संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु संकल्प

श्री शांती कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन भारत के संविधान में अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) की परिधि के अन्तर्गत आने वाले संशोधन का, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ नवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, अनुसमर्थन करता है ।"

(अंग्रेजी अनुवाद)

"That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clause (d) of the proviso to clause (2) of Artical 368, propose to be made by the Constitution (One Hundred and Ninth Amendment) Bill, 2009, as passed by both the Houses of Parliament."

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 26 अगस्त, 2009